

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना पुस्तिका

राष्ट्रीय न्यास

ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता एवं बहुदिव्यांगता
से प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
छठी मंजिल, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान भवन, प्लॉट नंबर जी-2, सेक्टर- 10,
द्वारका, नई दिल्ली-110075, फोन: 011-65216000
ई-मेल: contactus@thenationaltrust.in, वेबसाइट: www.nationaltrust.nic.in

विषय सूची

पुस्तिका परिचय

- अध्याय 1: राष्ट्रीय न्यास के कार्यों और कर्तव्यों का विवरण
- अध्याय 2: अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य
- अध्याय 3: निर्णय लेने के कार्य में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
- अध्याय 4: कार्यों के निर्वहन के लिए मानदंड
- अध्याय 5: कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम, निर्देश मैनुअल और रिकॉर्ड
- अध्याय 6: राष्ट्रीय न्यास के नियंत्रण वाले दस्तावेजों की श्रेणियाँ
- अध्याय 7: राष्ट्रीय न्यास के हिस्से के रूप में गठित बोर्ड, परिषदें, समितियाँ और अन्य निकाय
- अध्याय 8: अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका
- अध्याय 9: क्षतिपूर्ति व्यवस्था सहित अधिकारियों और कर्मचारियों को प्राप्त मासिक पारिश्रमिक
- अध्याय 10: जन सूचना अधिकारियों के नाम, पद और अन्य विवरण
- अध्याय 11: उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है
- अध्याय 12: सूचना का अधिकार अधिनियम को समझने के लिए कार्यक्रम
- <अध्याय 13: स्थानांतरण नीति एवं स्थानांतरण आदेश
-
- अध्याय 15: विदेशी एवं घरेलू यात्रा
-
- अध्याय 16: सब्सिडी कार्यक्रम के कार्यान्वयन का तरीका
-
- अध्याय 17: विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान
-
- अध्याय 18: छूट प्राप्त करने वालों का विवरण, सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दिए गए अनुज्ञप्ति आदेश
-
- अध्याय 19: सीएजी और पीएसी पैरा
-
- अध्याय 20: पब्लिक बैंड पब्लिक इंटरफ़ेस
-
- अध्याय 21: क्या जनता को प्रभावित करने वाली नीतियों/निर्णयों का विवरण उन्हें दिया जाता है
-
- अध्याय 22: सूचना का व्यापक रूप से और ऐसे तौर तरीकों से प्रसार जो जनता को आसानी से उपलब्ध हो
-
- अध्याय 23: सूचना नियमावली/पुस्तिका प्राप्त करने के लिये आवेदन
-
- अध्याय 24: क्या सूचना नियमावली/पुस्तिका निःशुल्क उपलब्ध है
-
- अध्याय 25: वह भाषा जिसमें सूचना नियमावली/पुस्तिका उपलब्ध है
-
- अध्याय 26: सूचना नियमावली/पुस्तिका का अंतिम बार कब संशोधन किया गया था?
-
- अध्याय 27: इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में उपलब्ध सूचनायें
-
- अध्याय 28: सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

अध्याय 29: कोई अन्य जानकारी

अध्याय 30: आरटीआई आवेदनों और अपीलों की प्राप्ति और निपटान

अध्याय 31: संसद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर

अध्याय 32: कोई अन्य जानकारी

अध्याय 33: उन विषयों/सूचनाओं का विवरण जिनसे जनता को सूचना प्राप्त करने में आरटीआई अधिनियम का कम से कम उपयोग करना पड़े

अध्याय 34: भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश (फरवरी, 2009 में जारी किया गया तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रियाओं के मैनुअल में शामिल किया गया)

पुस्तिका परिचय

पुस्तिका की पृष्ठभूमि

प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने तथा प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण के अंतर्गत सूचना प्राप्त करके नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए, भारत सरकार "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" अधिनियम (आरटीआई अधिनियम) लेकर आई जो 15.6.2005 को लागू हुआ। इस अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय न्यास ने ऑटिज़्म, सेरेब्रल पॉल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता एवं बहुदिव्यांगता के व्यक्तियों के कल्याण के बारे में लोगों की जानकारी और मार्गदर्शन के लिए यह पुस्तिका प्रकाशित की है।

पुस्तिका का उद्देश्य/लक्ष्य

जनता को मूल जानकारी प्रदान करना।

पुस्तिका के अभीष्ट उपयोगकर्ता

भारत के नागरिक, विशेषकर गैर-सरकारी संगठन।

पुस्तिका में सूचना से संबंधित संगठन

राष्ट्रीय न्यास, जो ऑटिज़्म, सेरेब्रल पॉल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता एवं बहुदिव्यांगता के व्यक्तियों के कल्याण के लिये काम करता है।

परिभाषाएं

क. "राष्ट्रीय न्यास" का अर्थ है ऑटिज़्म, सेरेब्रल पॉल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता एवं बहुदिव्यांगता के व्यक्तियों के कल्याण के लिये राष्ट्रीय न्यास,

ख. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम का अर्थ है ऑटिज़्म, सेरेब्रल पॉल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता एवं बहुदिव्यांगता के व्यक्तियों के कल्याण के लिये राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999,

ग. "आरटीआई अधिनियम" का अर्थ है सूचना का अधिकार अधिनियम,

घ. "पीडब्ल्यूडी अधिनियम" का अर्थ है दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 2016,

च. "ऑटिज़्म" का अर्थ असमान कौशल विकास की एक ऐसी स्थिति है जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति की संचार और सामाजिक क्षमताओं को प्रभावित करती है और जिसके बारे में पुनरावृत्ति और अनुष्ठानिक व्यवहार से पता चलता है,

छ. "बोर्ड" का अर्थ है- राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित न्यासी बोर्ड,
ज. "सेरेब्रल पाल्सी" का अर्थ है किसी व्यक्ति की गैर-प्रगतिशील स्थितियों का एक समूह जो असामान्य मोटर नियंत्रण और असामान्य मस्तिष्क या शिशु के प्रसव पूर्व या प्रसवकालीन अवधि में विकास के समय हुई क्षति के परिणामस्वरूप होने वाला विकार,
झ. "अध्यक्ष" का अर्थ है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ए) के अंतर्गत नियुक्त बोर्ड का अध्यक्ष,
ट. "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" का अर्थ है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ठ. "सदस्य" का अर्थ है राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड का सदस्य और इसमें अध्यक्ष भी शामिल है,
ड. "मानसिक मंदता (बौद्धिक दिव्यांगता)" का अर्थ है व्यक्ति के मस्तिष्क के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की स्थिति, जो विशेष रूप से मस्तिष्क के सामान्य विकास की स्थिति नहीं है,
ढ. "बहुदिव्यांगता" का अर्थ है दो या दो से अधिक दिव्यांगताओं का संयोजन, जैसा कि दिव्यांगजन अधिनियम की धारा 2 के खंड (i) में परिभाषित किया गया है।
ण. "पीडब्ल्यूडी" या "दिव्यांगजन व्यक्ति" का अर्थ है ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता या ऐसी दो या अधिक स्थितियों के संयोजन से पीड़ित व्यक्ति और इसमें गंभीर बहुदिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति भी शामिल है।
त. "आरओ" या "पंजीकृत संगठन" का अर्थ है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत पंजीकृत दिव्यांग व्यक्तियों का संघ या दिव्यांग व्यक्तियों के माता-पिता का संघ या एक स्वैच्छिक संगठन, जैसा भी मामला हो।

अतिरिक्त जानकारी के लिए संपर्क करें :

श्री नवनीत कुमार
कार्यक्रम अधिकारी और केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
राष्ट्रीय न्यास
छठी मंजिल, एनआईएसडी (राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान) भवन,
प्लॉट नंबर जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-11075
फ़ोन: 011-65216004/ 9868121465

पुस्तिका में जो जानकारी उपलब्ध नहीं है उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया और शुल्क विवरण

आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत जानकारी मांगने वाला व्यक्ति 10/- आवेदन शुल्क के रूप में भुगतान करके उपर्युक्त केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है। यह भुगतान प्राप्ति के बदले नकद रूप से या राष्ट्रीय न्यास के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) या बैंकर्स चेक के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी अतिरिक्त जानकारी केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास से सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है।

अध्याय 1: राष्ट्रीय न्यास के कार्यों और कर्तव्यों का विवरण

1.1 संक्षिप्त इतिहास:

राष्ट्रीय न्यास दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता एवं बहुदिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिये एक स्वायत्त निकाय है। राष्ट्रीय न्यास देश में 600 से अधिक पंजीकृत संगठनों के माध्यम से इन दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए काम कर रहा है।

राष्ट्रीय न्यास का मुख्य उद्देश्य इन दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान करना और उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए सशक्त बनाना है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है। कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति जिला स्तर पर जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित स्थानीय स्तरीय समिति के माध्यम से की जाती है। कानूनी संरक्षक की नियुक्ति एक आवश्यकता आधारित प्रावधान है। राष्ट्रीय न्यास दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन करता है।

राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों को चलाने के लिए 100 करोड़ रुपये की कार्पस निधि प्रदान की गई थी। राष्ट्रीय न्यास का कॉर्पस फंड स्थिर और मजबूत है और इसे बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थानों में निवेशित किया गया है और उस पर अर्जित ब्याज का उपयोग राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिये किया जाता है। वर्ष 2015-16 से, राष्ट्रीय न्यास को डे केयर, आवासीय देखभाल और निरामय - स्वास्थ्य बीमा योजना चलाने के लिए दिव्यांगजन के सशक्तिकरण विभाग की 'राष्ट्रीय न्यास को सहायता' योजना के तहत अनुदान प्राप्त हो रहा है।

संगठन का नाम और पता	राष्ट्रीय न्यास ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता एवं बहुदिव्यांगता से प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, छठीं मंजिल, एनआईएसडी (राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान) भवन, प्लॉट नंबर जी-2, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075, फ़ोन-011 :65216000 ईमेल: contactus@thenationaltrust.in, वेबसाइट: www.nationaltrust.nic.in. कार्यालय खुलने का समय: सुबह 9 बजे (सोमवार से शुक्रवार) कार्यालय बंद होने का समय: सायं 5.30 बजे (सोमवार से शुक्रवार)
संगठन के प्रमुख	श्री के आर वैधीस्वरन, संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी

1.2 लक्ष्य/उद्देश्य

राष्ट्रीय न्यास के मूल उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- क. दिव्यांगजनों को स्वतंत्र रूप से और यथासंभव पूर्ण रूप से अपने समुदाय के करीब रहने में सक्षम और सशक्त बनाना
- ख. दिव्यांगजनों को अपने ही परिवार में रहने के लिए उनको उपलब्ध सुविधाओं को मजबूत करना
- ग. दिव्यांगजनों के परिवार में संकट के दौरान आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करना
- घ. उन दिव्यांगजनों की समस्याओं से निपटना जिनके परिवार नहीं हैं
- च. माता-पिता या संरक्षक की मृत्यु की होने पर दिव्यांगजनों की देखभाल और सुरक्षा के उपायों को बढ़ावा देना
- छ. ऐसे दिव्यांगजनों के लिए संरक्षकों और न्यासियों की नियुक्ति की प्रक्रिया तैयार करना जिन्हें उनके संरक्षण की जरूरत है
- ज. दिव्यांगजनों को समान अवसरों की प्राप्ति, अधिकारों की सुरक्षा और उनकी पूर्ण भागीदारी को सुविधाजनक बनाना
- झ. उपरोक्त उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक कोई अन्य कार्य ।

1.3 मिशन/विजन :

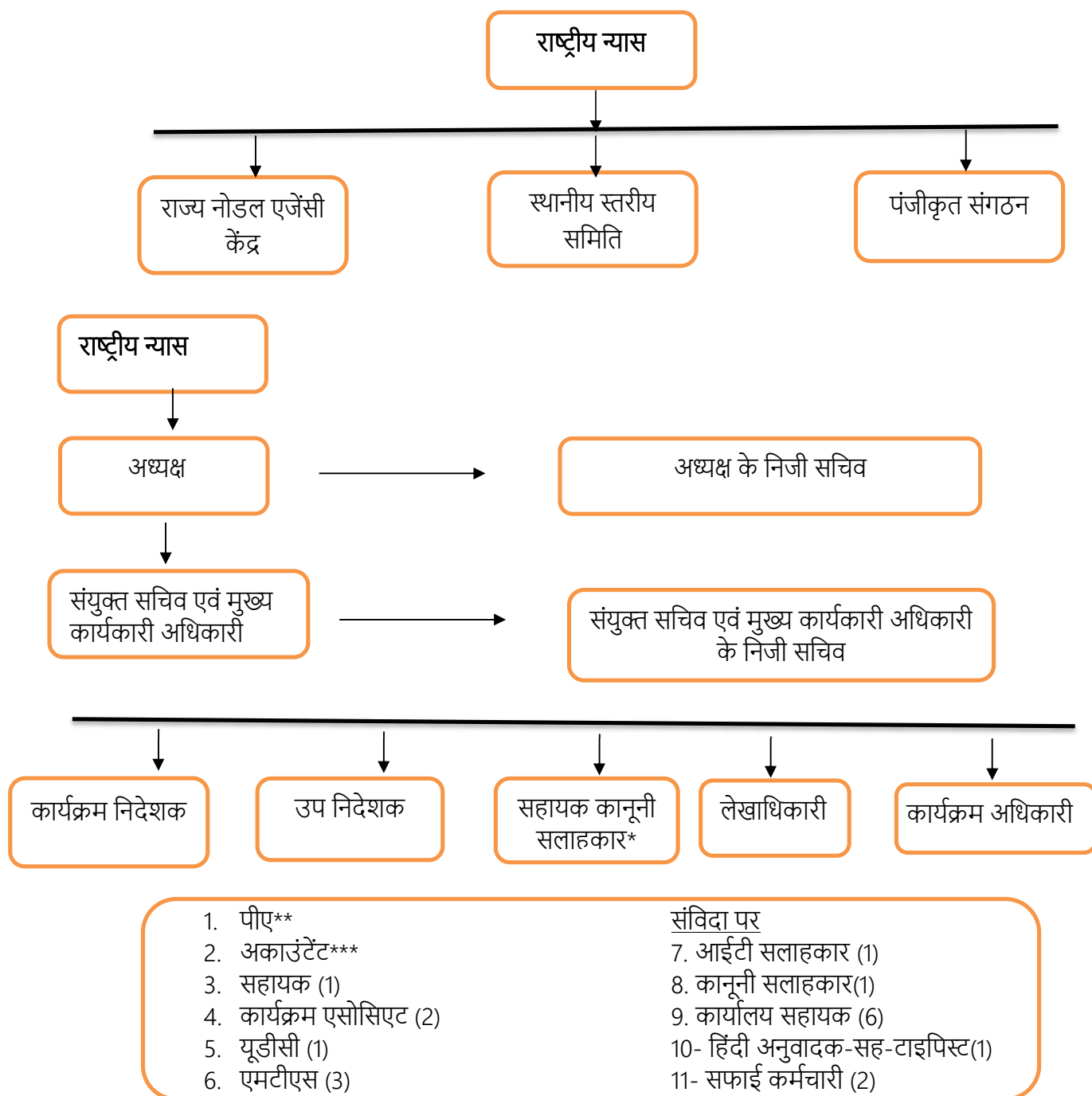
राष्ट्रीय न्यास एक ऐसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए समर्पित है, जो ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता एवं बहुदिव्यांगता के व्यक्तियों के संरक्षण, देखभाल और उनको अपने समुदायों में या उनके निकट के समुदायों में शामिल करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई को बढ़ावा देता है।

1.4 कार्य एवं कर्तव्य:

- क) राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत शामिल दिव्यांगजनों को संरक्षण, आश्रय और देखभाल प्रदान करना।
- ख) विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षित करना, संवेदनशील बनाना तथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत शामिल दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना।
- ग) सिविल सोसायटी के सभी पहलुओं में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में शामिल किया जाना सुनिश्चित करना।
- घ) राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में उल्लिखित दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना और उन्हें कार्यान्वित करना।
- ई) केंद्र/राज्य सरकार के साथ संपर्क करना तथा विभिन्न प्राधिकरणों/निकायों/सरकार की योजनाओं का समन्वय सुनिश्चित करना।

1.5 राष्ट्रीय न्यास का संगठनात्मक चार्ट:

नेटवर्क संरचना



नोट-

* पद रिक्त है।

** दो पद रिक्त है।

***यह पद रिक्त है और एक कार्यक्रम एसोसिएट के पास अकाउंटेंट का अतिरिक्त प्रभार है।

1.6 कोई अन्य विवरण - विभाग की उत्पत्ति, स्थापना, गठन और समय-समय पर नियुक्त विभागाध्यक्षों तथा समय-समय पर गठित समितियों/आयोगों का विवरण निम्नलिखित है :

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम का संदर्भ लें:

(<https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3300891a62162b960cf02ce3827bb363c/uploads/2024/09/20240918793880368.pdf>)

राष्ट्रीय न्यास के अध्यक्ष का विवरण निम्नलिखित है -

क्रम सं.	नाम	अवधि	टिप्पणी
1	श्रीमती अलोका गुहा	10.04.2001 से 31.12.2005 तक	पूर्णकालिक
2	श्रीमती पूनम नटराजन	02.01.2006 से 24.10.2014 तक	पूर्णकालिक
3	श्री पी के पिंचा	25.10.2014 से 31.12.2014 तक	अति. प्रभार
4	श्रीमती स्तुति कक्कड, आई.ए.एस.	01.01.2015 से 31.01.2015 तक	अति. प्रभार
5	श्री लव वर्मा, आई.ए.एस.	02.02.2015 से 31.01.2016 तक	अति. प्रभार
6	डा. विनोद अग्रवाल, आई.ए.एस.	01.02.2016 से 31.08.2016 तक	अति. प्रभार
7	डा. के के पाण्डेय	01.09.2016 से 24.01.2019 तक	अति. प्रभार
8	सुश्री शकुन्तला डी गामलिन, सचिव दिव्यांगजन विभाग	01.02.2019 से 07.04.2021 तक	अति. प्रभार
9	सुश्री अंजलि भावरा, सचिव दिव्यांगजन विभाग	08.04.2021 से 18.09.2022 तक	अति. प्रभार
10	श्री राजेश अग्रवाल, सचिव दिव्यांगजन विभाग	19.09.2022 से अब तक	अति. प्रभार

राष्ट्रीय न्यास के संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का विवरण निम्नलिखित है-

क्रम सं.	नाम	अवधि	टिप्पणी
1	श्रीमती जयति चंद्रा, आई.ए.एस.	जुलाई 2000 से नवंबर 2001 तक	पूर्णकालिक
2	श्रीमती नीना गर्ग, सीएसएस	01.07.2002 से 31.12.2003 तक	पूर्णकालिक
3	श्री मुकेश कक्कड़, आई.ए.एस.	21.02.2003 से 31.12.2004 तक	पूर्णकालिक
4	डॉ. विनोद अग्रवाल, आई.ए.एस.	07.03.2005 से 18.06.2007 तक	पूर्णकालिक
5	श्री अतुल प्रसाद, आई.ए.एस.	22.08.2007 से 21.08.2012 तक	पूर्णकालिक
6	सुश्री निधि खरे	19.09.2012 से 27.09.2012	अति० प्रभार
7	श्री आर.एस. मीना	28.09.2012 से 10.04.2013	अति० प्रभार
8	श्री अजय लाल, आईआरएस	11.04.2013 से 05.12.2014 तक	पूर्णकालिक

9	श्री मुकेश जैन, आई.पी.एस.	06.12.2014 से 18.01.2015 तक	अति0 प्रभार
10	श्री सी.के.खेतान, आई.ए.एस.	19.01.2015 से 25.11.2016 तक	पूर्णकालिक
11	श्री मुकेश जैन, आई.पी.एस.	06.12.2014 से 18.01.2015 तक	पूर्णकालिक
12	डॉ. प्रबोध सेठ, आई.ई.एस.	21.04.2018 से 28.11.2018 तक	अति0 प्रभार
13	श्री निकुंज के. सुंदराय, आई.ए.एस.	29.11.2018 से 28.02.2022 तक	पूर्णकालिक
14	श्री किशोर बाबूराव सुरवड़े	21.03.22 से 20.05.22 तक	अति0 प्रभार
15	श्री के.आर. वैधीश्वरन, सीएसएस	20.05.2022 से अब तक	पूर्णकालिक

अध्याय 2: राष्ट्रीय न्यास के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

राष्ट्रीय न्यास के अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रीय न्यास अधिनियम और नियमों तथा विनियमों के अनुसार शासित होते हैं। कार्य वितरण और कर्मचारियों की सूची का विवरण निम्नलिखित है:

क्रम सं.	नाम और पद	शक्तियाँ और कर्तव्य (कार्य वितरण)
1	श्री राजेश अग्रवाल, आईएएस सचिव, दिव्यांगजन विभाग अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास	राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, नियम 2000 और न्यास बोर्ड विनियम, 2001 के अनुसार राष्ट्रीय न्यास बोर्ड के अध्यक्ष
2	श्री के.आर. वैधीश्वरन, संयुक्त सचिव और सीईओ	राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, नियम 2000 और न्यास बोर्ड विनियम, 2001 के अनुसार राष्ट्रीय न्यास के प्रमुख और राष्ट्रीय न्यास बोर्ड के सदस्य सचिव
3	श्री राजेश सचदेवा, उप-निदेशक	सामान्य प्रशासन, लेखा, गैर सरकारी संगठन, स्थानीय स्तरीय समिति और कानूनी संरक्षकों का पंजीकरण, सभी कानूनी मामले, अदालती मामले, निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना, वार्षिक आम बैठक, बोर्ड बैठकें और बोर्ड सदस्यों का चुनाव
4	श्री नवनीत कुमार, कार्यक्रम अधिकारी	डे केयर स्कीम (दिशा, विकास और दिशा-सह-विकास), और आवासीय देखभाल (समर्थ, घरौंदा और समर्थ-सह-घरौंदा), नीति, योजना, वार्षिक रिपोर्ट, रिपोर्टिंग आदि से संबंधित सभी मामले, पीजी पोर्टल के तहत शिकायत का समाधान, संसद के लिये प्रश्नोत्तर, वेबसाइट, योजना प्रबंधन प्रणाली, दिव्यांगजन सशक्तिकरण सशक्तिकरण विभाग आदि के साथ समन्वय, परियोजना धारकों का निरीक्षण, सत्यापन समिति के मामले, राज्य नोडल एजेंसी सेंटर और राज्य स्तरीय समन्वय समिति का प्रबंधन, मंत्रालय के साथ समन्वय और निर्देशों / दिशानिर्देशों का अनुपालन, आरटीआई और विविध प्रश्न और शिकायत।
5	श्री अमित कुमार आशुतोष, लेखाधिकारी	लेखा और सामान्य प्रशासन
6	श्री सुरेश कुमार ठुकराल, निजी सचिव	संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निजी सचिव

7	श्रीमती श्रेष्ठा साहनी, निजी सहायक	स्थानीय स्तर की समिति, कानूनी संरक्षक, न्यायालय में विचाराधीन मामले, वार्षिक रिपोर्ट (हिंदी), राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, नियम और विनियम संशोधन, तथा अन्य विविध पत्र
8	श्रीमती मोनिका वाधवा, सहायक	निरामय योजना, बोर्ड बैठक, वार्षिक आम बैठक आदि
9	श्रीमती वंदना चोपड़ा, कार्यक्रम सहायक	लेखा, नगदी हैंडलिंग, कार्मिक और प्रशासन
10	श्रीमती मुस्कान खुल्लर, कार्यक्रम सहायक	राज्य नोडल एजेंसी केंद्र, राज्य स्तरीय समन्वय समिति, मंत्रालय से संबंधित मामले, विविध, प्रश्न, सहयोगी योजना, बढ़ते कदम योजना, संसद प्रश्न, पीजी पोर्टल, ई-ऑफिस आदि।
11	श्री बी.एस. नेगी, यूडीसी	प्रेषण, डायरी, स्टोर, हाउस कीपिंग, एएमसी से संबंधित कार्य, गृह मंत्रालय पास, अधिकारियों और कर्मचारियों के मासिक टेलीफोन बिल, बिजली बिल, खरीद, दिव्यांगता कार्यक्रम / बैठक व्यवस्था, प्रिंटिंग और पब्लिकेशन, परिवहन व्यवस्था, आवास बुकिंग और निरामय योजना आदि।
12	श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव, आईटी सलाहकार	वेबसाइट प्रबंधन, सर्वर प्रबंधन, आईटी खरीद, एनआईसी से संबंधित मामले आईटी से संबंधित अन्य कार्य।
13	श्रीमती साक्षी पांचाल, कानूनी सलाहकार	स्थानीय स्तरीय समिति, कानूनी संरक्षक, अदालती मामले आदि
14	श्री तिलक राज, कार्यालय सहायक	राष्ट्रीय न्यास के लिये काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण
15	श्रीमती पुष्पा पांडे, कार्यालय सहायक	घरौंदा, समर्थ, समर्थ-सह-घरौंदा योजना, प्रेरणा योजना, नवाचार परियोजनाएं, आरटीआई, मंत्रालय से संबंधित रिपोर्ट और प्रश्न, वीआईपी संदर्भ आदि।
16	श्री सुमित रावत, कार्यालय सहायक	दिशा योजना, विकास योजना, दिशा-सह- विकास योजना, पीएफएमएस आदि
17	श्री एस. बी. त्रिपाठी, हिन्दी अनुवादक-सह-टाइपिस्ट	हिंदी राजभाषा से संबंधित सभी मामले, अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद, हिंदी टंकण
18	श्री दीपक रावत, कार्यालय सहायक	निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना, लेखा से संबंधित कार्य (बजट आदि)
19	सुश्री ज्योति, कार्यालय सहायक	स्थानीय स्तरीय समिति, पंजीकरण, अदालती मामले, कानूनी संरक्षकता आदि
20	श्री गौरव वर्मा, कार्यालय सहायक	निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना
21	श्री राम बिलास, एमटीएस	अध्यक्ष के एमटीएस, डाक वितरण
22	श्री राम आशीष, एमटीएस	संयुक्त सचिव और सीईओ के एमटीएस
23	श्रीमती रेखा ममगाई एमटीएस	एमटीएस कार्य, डाक प्राप्ति, संरक्षकों और पंजीकृत संगठनों/एनजीओ आदि के टेलीफोन कॉल सुनना।
24	श्री गुड्डू, सफाई कर्मचारी	सफाई कार्य और फील्ड वर्क
25	श्री राजेन्द्र, सफाई कर्मचारी	सफाई कार्य और फील्ड वर्क

अध्याय 3: निर्णय लेने की प्रक्रिया

3.1 विभिन्न मामलों में निर्णय की क्या प्रक्रिया है?

अनुभाग सभी श्रेणियों के प्राप्त आवेदनों/मुद्दों या प्रस्तावों की जांच करता है और इन्हें राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, नियमों और विनियमों के अनुसार संयुक्त सचिव और सीईओ/अध्यक्ष /बोर्ड को विचारार्थ प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, नियम और विनियम निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:

(<https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3300891a62162b960cf02ce3827bb363c/uploads/2024/09/20240918793880368.pdf>)

3.2 महत्वपूर्ण मामलों पर विशेष निर्णय लेने के लिए दस्तावेजी प्रक्रिया/निर्धारित प्रक्रिया/परिभाषित मानदंड/नियम क्या हैं? निर्णय लेने की प्रक्रिया कौन कौन से विभिन्न स्तरों से आगे बढ़ती है?

किसी भी महत्वपूर्ण मामले पर निर्णय लेने के लिए एजेंडा नोट तैयार किया जाता है और उसे राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड सदस्यों के बीच वितरित किया जाता है। बोर्ड अपनी बैठक में एजेंडा पर विचार करता है और उस मामले के बारे में प्रस्ताव पारित करता है जिसका बैठक के कार्य वृत्त में उल्लेख होता है।

3.3 निर्णय के बारे में जनता को जानकारी देने की क्या व्यवस्था है?

बोर्ड द्वारा स्वीकृत सभी योजनाओं और गतिविधियों का विवरण जनता के लिए राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

3.4 विभिन्न स्तरों पर वे कौन से अधिकारी हैं जिनकी राय निर्णय लेने की प्रक्रिया में मांगी जाती है?

राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड के माध्यम से अध्यक्ष और संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी निर्णय लेते हैं। उप-निदेशक, कार्यक्रम अधिकारी और सहायक कानूनी सलाहकार निर्णय लेने की प्रक्रिया में संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष की सहायता करते हैं।

3.5 निर्णय की जाँच करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन है?

राष्ट्रीय न्यास बोर्ड अंतिम प्राधिकारी है।

3.6 जिन महत्वपूर्ण मामलों पर राष्ट्रीय न्यास निर्णय लेता है, कृपया उनकी जानकारी निम्नलिखित प्रारूप में अलग से प्रदान करें:

वे विषय जिन पर निर्णय लिया जाना है	राष्ट्रीय न्यास की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान/वित्तीय सहायता चाहने वाले पंजीकृत संगठनों के प्रस्ताव।
दिशानिर्देश/निर्देश, यदि कोई हो	वेबसाइट पर उपलब्ध संबंधित योजना दिशानिर्देशों में उल्लिखित।
कार्यान्वयन की प्रक्रिया	विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नामांकन, मंजूरी और धनराशि जारी करने के लिए ऑनलाइन योजना प्रबंधन प्रणाली बनाई गई है।

निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के पद	राष्ट्रीय न्यास बोर्ड और संयुक्त सचिव एवं सीईओ
उपर्युक्त अधिकारियों से संपर्क करने के लिये जानकारी	अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास बोर्ड, छठी मंजिल, एनआईएसडी (राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान) भवन, प्लॉट नंबर जी-2, सेक्टर- 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075, फ़ोन: 011-65216000
यदि निर्णय से असंतुष्ट हों तो कहां और कैसे अपील करें।	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार

3.7 पर्यवेक्षण और जवाबदेही के क्या क्या चैनल हैं?

राष्ट्रीय न्यास की संगठनात्मक संरचना के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी, अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह है (अध्याय 2 देखें)।

अध्याय 4: कार्यों के निर्वहन के लिए मानदंड

4.1 कार्य की प्रकृति/राष्ट्रीय न्यास द्वारा प्रदत्त सेवायें

क) संगठनों का पंजीकरण

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता एवं बहुदिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने वाले कोई भी स्वैच्छिक संगठन, दिव्यांगजनों के माता-पिता का संघ या दिव्यांगजनों का संघ जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अंतर्गत या एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में और दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, 1995/दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम -2016 के अंतर्गत संबंधित राज्य और एनजीओ नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पहले से ही पंजीकृत हैं, राष्ट्रीय न्यास में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। न्यास की योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे संगठन का न्यास के साथ पंजीकरण आवश्यक है।

ख) स्थानीय स्तरीय समिति

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 13 के अनुसार देश के प्रत्येक जिले में स्थानीय स्तरीय समिति का गठन करना आवश्यक है। यह समिति तीन साल के लिए या बोर्ड द्वारा इसका पुनर्गठन होने तक कार्य करेगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं: -

- 1- संघ या राज्य की सिविल सेवा का एक अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट या किसी जिले के जिला आयुक्त के पद से नीचे न हो;
- 2- राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकृत संगठन का एक प्रतिनिधि; और
- 3- दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (टी) में परिभाषित दिव्यांगजन स्थानीय स्तरीय समिति का कार्य कानूनी संरक्षकों की स्क्रीनिंग, नियुक्ति, निगरानी और हटाना है।

यह समिति जागरूकता पैदा करने और सबको एक साथ लेकर चलने के माध्यम से दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाने से संबंधित गतिविधियों को भी बढ़ावा देती है।

ग) कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 14-17 के माध्यम से ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता एवं बहुदिव्यांगता वाले व्यक्तियों को स्थानीय स्तरीय समिति द्वारा संरक्षक नियुक्त किये जाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। संरक्षकता दिव्यांगों की एक मूलभूत आवश्यकता है और इसके लिये अधिनियम में संक्षम प्रावधान हैं।

संरक्षक वह व्यक्ति होता है जिसे किसी दिव्यांग व्यक्ति या उसकी संपत्ति की देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता है। संरक्षक उस दिव्यांग की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है जिसका उसे संरक्षक नियुक्त किया गया है। संरक्षक, दिव्यांग की ओर से सभी कानूनी निर्णय लेता है और उसकी संपत्ति की देखभाल करता है।

घ) राज्य नोडल एजेंसी केन्द्र

राज्य स्तर पर राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों को संचालित करने और राज्य सरकारों के साथ समन्वय/संपर्क के लिए प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन को राज्य नोडल एजेंसी केन्द्र के रूप में नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रीय न्यास पंजीकृत संगठनों/स्थानीय स्तर की समितियों, राज्य स्तरीय समन्वय समितियों की बैठकें, दस्तावेजीकरण/रिपोर्टिंग, समन्वयक के लिए मानदेय जैसी संस्थागत गतिविधियों के संचालन के लिए धन प्रदान करता है।

च) राज्य स्तर समन्वय समिति

प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों से राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित करने का अनुरोध किया जाता है। दिव्यांगता मामलों को देखने वाले राज्य सरकार के सचिव इस समिति के अध्यक्ष और संबंधित राज्य नोडल एजेंसी केन्द्र समिति के संयोजक होते हैं।

छ) राष्ट्रीय न्यास की योजनाएं :

1) दिशा (0-10 वर्ष के लिए बाल्यकालिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी योजना)

यह राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाली चार दिव्यांगताओं वाले 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए एक बाल्यकालिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी योजना है और इसका उद्देश्य चिकित्सा, प्रशिक्षण और परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करके दिव्यांगजनों के लिए बाल्यकालिक हस्तक्षेप के लिए दिशा केन्द्र स्थापित करना है। योजना धारकों को आयु विशिष्ट गतिविधियों के साथ-साथ दिव्यांगजनों को एक दिन में कम से कम 4 घंटे (सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच) डे-केयर सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। दिशा केन्द्र में देखभालकर्ता और आया के साथ-साथ दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष शिक्षक या बाल्यकालिक हस्तक्षेप चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट या व्यावसायिक चिकित्सक और परामर्शदाता होने चाहिए।

2) विकास (10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए डे केयर योजना)

यह 10 वर्ष और उससे अधिक आयु के दिव्यांगजनों के लिए एक डे केयर योजना है और इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को उनके उच्च आयु समूहों में बढ़ती उम्र के दौरान पारस्परिक और व्यावसायिक कौशल बढ़ाने के संबंध में उनके लिए उपलब्ध अवसरों की सीमा का विस्तार करना है। जब दिव्यांगजन विकास केंद्र में रहेंगे, तब केंद्र दिव्यांगजनों को देखभाल संबंधी सहायता भी प्रदान करेगा। इसके अलावा, यह राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत आने वाले दिव्यांगजनों के परिवार के सदस्यों को अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए दिन के दौरान कुछ समय निकालने में भी सहायता करता है। योजना धारकों को दिव्यांगजनों के लिये आयु विशिष्ट गतिविधियों के साथ एक दिन में कम से कम 6 घंटे (सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच) डे-केयर सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। डे केयर को महीने में कम से कम 21 दिन खोला जाना चाहिए।

3) दिशा-सह-विकास योजना (डे केयर)

कई योजनाएं लागू करने वाले पंजीकृत संगठनों को विलय योजना लागू करने का विकल्प दिया गया था। योजना धारकों की सहमति और योजना दिशानिर्देशों के आधार पर, इन योजना धारकों को दिनांक 1.4.2018 से विलय की गई दिशा-सह-विकास योजना (डे केयर) आवंटित की गई थी।

4) समर्थ(राहतकारी आवासीय देखभाल योजना)

समर्थ योजना का उद्देश्य अनाथ या बेसहारा बच्चों, संकट में फंसे परिवारों और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में शामिल चार दिव्यांगताओं में से कम से कम एक से प्रभावित निराश्रितों सहित बीपीएल और एलआईजी परिवारों के दिव्यांगजनों को राहत घर प्रदान करना है। इसका उद्देश्य परिवार के सदस्यों के लिये अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने और राहत का समय निकालने का अवसर पैदा करना भी है। इस योजना का उद्देश्य पेशेवर डॉक्टरों से बुनियादी चिकित्सा देखभाल के प्रावधान सहित स्वीकार्य जीवन स्तर और पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण देखभाल सेवा के साथ सभी आयु समूहों के लिए सामूहिक आवास सुविधा प्रदान करने के लिए समर्थ केंद्र स्थापित करना है।

5) घरौंदा (वयस्कों के लिये सामूहिक आवास)

घरौंदा योजना का उद्देश्य ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता एवं बहुदिव्यांगता वाले व्यक्तियों को जीवन भर सुनिश्चित आवास और न्यूनतम गुणवत्ता वाली देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। यह योजना पूरे देश में सुनिश्चित देखभाल प्रणाली के लिए अपेक्षित बुनियादी ढांचे की स्थापना की सुविधा प्रदान करती है, स्वतंत्रता और सम्मान के साथ सहायता प्राप्त जीवन को प्रोत्साहित करती है और स्थायी आधार पर देखभाल सेवाएं प्रदान करती है।

6) समर्थ-सह-घरौंदा योजना (आवासीय)

कई योजनाएं लागू करने वाले पंजीकृत संगठनों को विलय योजना लागू करने का विकल्प दिया गया था। योजना धारकों की सहमति और योजना दिशानिर्देशों के आधार पर इन योजना धारकों को दिनांक 1.4.2018 से विलय की गई समर्थ-सह-घरौंदा योजना आवंटित की गई थी।

7) निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना

राष्ट्रीय न्यास ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता एवं बहुदिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित कर रहा है और इस योजना में पंजीकरण के लिये कोई आयु सीमा नहीं है। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को एक लाख रुपये का बीमा दिया जाता है, जिसमें ओपीडी, डायग्नोस्टिक टेस्ट, थेरेपी, सुधारात्मक सर्जरी, वैकल्पिक चिकित्सा और परिवहन शामिल है। किसी भी अधिकृत चिकित्सक/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र से उपचार कराया जा सकता है। यह प्रतिपूर्ति के आधार पर है। यह योजना पूरे देश में 600 से अधिक पंजीकृत संगठनों के माध्यम से संचालित हो रही है जो दिव्यांगजनों को ऑनलाइन आवेदन भरने में सुविधा प्रदान करते हैं। उपरोक्त शर्त पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति मामूली शुल्क का भुगतान करके इस योजना का लाभ ले सकता है।

नीति वर्ष 2023-24 से राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठनों के अलावा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थानों और राष्ट्रीय संस्थानों के तहत समग्र क्षेत्रीय केंद्रों और स्वयं लाभार्थियों और उनके देखभालकर्ताओं को भी योजना के अंतर्गत नामांकन/नवीनीकरण की अनुमति दी गई है। आवेदन करते समय यूडीआईडी कार्ड नंबर या यूडीआईडी नामांकन संख्या के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिये।

नामांकित लाभार्थियों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार मामूली शुल्क का भुगतान करके एक लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिलता है: -

दिव्यांगजन श्रेणी	नामांकन शुल्क	नवीनीकरण शुल्क
गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)	रु. 250/-	रु. 50/-
गैर बीपीएल	रु. 500/-	रु. 250/-
वे दिव्यांगजन जिनके संरक्षक हैं (स्वाभाविक माता-पिता के अलावा)	निःशुल्क	निःशुल्क

राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं और गतिविधियों का ब्योरा वेबसाइट www.nationaltrust.nic.in पर उपलब्ध है।

4.2 लक्ष्य प्राप्त करने की समय सीमा

योजनाओं और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए आवंटित बजट पूरे वर्ष में समान रूप से खर्च किया जाना चाहिये। योजनाओं को चलाने वाले पंजीकृत संगठनों को मासिक आधार पर धन का आबंटन किया जाता है।

4.3 शिकायत समाधान की प्रक्रिया

राष्ट्रीय न्यास में शिकायत के समाधान के लिये ई-मेल, पीजी पोर्टल, आरटीआई आदि ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम उपलब्ध हैं। कोई भी नागरिक शिकायत समाधान के लिये निम्नलिखित अधिकारी से संपर्क कर सकता है:-

श्री नवनीत कुमार
कार्यक्रम अधिकारी और केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
राष्ट्रीय न्यास
छठी मंजिल, एनआईएसडी (राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान) भवन,
प्लॉट नंबर जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-11075
फ़ोन: 011-65216004/ 9868121465

अध्याय 5: कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम, निर्देश मैनुअल और रिकॉर्ड

5.1 राष्ट्रीय न्यास के कार्यों के निर्वहन के लिये निम्नलिखित नियम स्वीकार किये गये हैं-

ए) राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, नियम और विनियम

बी) भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, नियम और विनियम वेबसाइट के लिंक (<https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3300891a62162b960cf02ce3827bb363c/uploads/2024/09/20240918793880368.pdf>) पर उपलब्ध हैं।

5.2 स्थानान्तरण नीति और स्थानान्तरण आदेश:-

राष्ट्रीय न्यास नई दिल्ली स्थित एक स्वायत्त निकाय है और इसकी कोई शाखा नहीं है। अतः स्थानान्तरण का प्रावधान नहीं है। केवल कार्य आवंटन में ही आवश्यकतानुसार आंतरिक रूप से परिवर्तन किया जाता है।

अध्याय 6: राष्ट्रीय न्यास के नियंत्रण वाले दस्तावेजों की श्रेणियाँ

राष्ट्रीय न्यास के नियंत्रण वाले दस्तावेजों की श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं:-

क्रम सं.	दस्तावेजों की श्रेणी	दस्तावेजों के नाम	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया	किसके नियंत्रण में हैं
1	योजना	पंजीकृत संगठनों को स्वीकृत अनुदानों से संबंधित दस्तावेज /फाइलें	ऑन लाइन	कार्यक्रम अधिकारी

2	योजना	सभी योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित दस्तावेज /फाइलें	ऑन लाइन	कार्यक्रम अधिकारी
3	कानूनी	एलएलसी के पंजीकरण/कार्यकरण से संबंधित दस्तावेज /फाइलें	ऑन लाइन	कार्यक्रम अधिकारी
4	लेखा	कॉर्पस फंड के निवेश और अन्य वित्तीय मामलों से संबंधित दस्तावेज /फाइलें	लिखित आवेदन	लेखाधिकारी
5	सामान्य प्रशासन	सामान्य प्रशासन और कर्मचारी अधिष्ठान	लिखित आवेदन	लेखाधिकारी

अध्याय 7: राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत गठित बोर्ड, काउंसिल, समितियां और अन्य निकाय

7.1 राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत एक बोर्ड का गठन किया गया है जिसका ब्योरा निम्नलिखित है:

क्रम सं.	नाम	विवरण
1	बोर्ड	राष्ट्रीय न्यास बोर्ड का गठन 3 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड सदस्यों की सूची लिंक https://nationaltrust.nic.in/name-and-profiles-of-the-trustees-of-the-board-of-the-national-trust/ पर उपलब्ध है।

7.2 बोर्ड की संरचना

बोर्ड में 22 सदस्य हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है:-

एक- अध्यक्ष

दो- संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी;

तीन- सदस्य सचिव एवं सदस्य (9): निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत संगठनों में से नौ व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा, जिनमें से स्वैच्छिक संगठनों, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता एवं बहुदिव्यांगता वाले व्यक्तियों के माता-पिता के संघों और दिव्यांगजन संघों से तीन-तीन सदस्य होंगे।

चार- सदस्य (8) -सामाजिक न्याय और अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, वित्त, श्रम, शिक्षा, शहरी मामले, ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन और रोजगार मंत्रालयों या विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत सरकार द्वारा नामित आठ व्यक्ति जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे के न हों।

पाँच- सदस्य (3) - बोर्ड द्वारा नामित तीन व्यक्ति जो परोपकारी गतिविधियों में लगे व्यापार, वाणिज्य और उद्योग संघों का प्रतिनिधित्व कर रहे हों।

7.3 बोर्ड का विवरण, संरचना, कार्यकाल, अवधि तथा शक्तियाँ और कार्य निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:-

<https://nationaltrust.nic.in/name-and-profiles-of-the-trustees-of-the-board-of-the-national-trust/>

7.4 बैठकों का विवरण:

- | | | |
|------|---|---------------------------------------|
| i. | वार्षिक साधारण बैठक | - वर्ष में एक बार |
| ii. | राष्ट्रीय न्यास बोर्ड | - प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार |
| iii. | क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है? | - नहीं |
| iv. | क्या बैठक का कार्यवाही सारांश तैयार किया जाता है? - हां (लेकिन यह जनता के लिये नहीं है) | |

अध्याय 8: अधिकारियों और कर्मचारियों की डायरेक्टरी

क्रम सं.	नाम	पद	ई-मेल	फोन नं.
1	श्री राजेश अग्रवाल	सचिव, दिव्यांगजन विभाग और अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास	contactus@thenationaltrust.in	011-
2	श्री के आर वैधीश्वरन	संयुक्त सचिव एवं सीईओ	js_ceo_nt@thenationaltrust.in	011-65216001
3	श्री सुरेश ठुकराल	संयुक्त सचिव एवं सीईओ के निजी सचिव	pstojs-ceo@thenationaltrust.in	011-65216002
4	श्री राजेश सचदेवा	उप-निदेशक	dd@thenationaltrust.in	011-65216003
5	श्री नवनीत कुमार	कार्यक्रम अधिकारी	po@thenationaltrust.in	011-65216004
6	श्री अमित कुमार आशुतोष	लेखाधिकारी	ao@thenationaltrust.in	011-65216005
7	श्रीमती श्रेष्ठा साहनी	निजी सचिव	shreshtha@thenationaltrust.in	011-65216006
8	श्रीमती मोनिका वाधवा	सहायक	monika@thenationaltrust.in	011-65216007
9	श्रीमती वदना चोपडा	कार्यक्रम एसोसिएट	vandana@thenationaltrust.in	011-65216010
10	श्रीमती मुस्कान खुल्लर	कार्यक्रम एसोसिएट	muskan@thenationaltrust.in	011-

				65216011
11	श्री बी एस नेगी	यूडीसी	bharat@thenationaltrust.in	011-65216010
12	श्री पंकज श्रीवास्तव	आईटी सलाहकार	pankaj@thenationaltrust.in	011-65216009
13	श्रीमती साक्षी पांचाल	कानूनी सलाहकार	legal@thenationaltrust.in	011-65216012
14	श्री तिलक राज	कार्यालय सहायक	tilak@thenationaltrust.in	011-65216013
15	श्रीमती पुष्पा पांडे	कार्यालय सहायक	pushpa@thenationaltrust.in	011-65216001
16	श्री शशि भूषण त्रिपाठी	अनुवादक	sb.tripathi@thenationaltrust.in	011-65216010
17	श्री दीपक रावत	कार्यालय सहायक	deepak@thenationaltrust.in	011-65216007
18	श्री गौरव वर्मा	कार्यालय सहायक	gaurav@thenationaltrust.in	011-65216008
19	सुश्री ज्योति	कार्यालय सहायक	jyoti@thenationaltrust.in	011-65216015
20	श्री सुमित रावत	कार्यालय सहायक	sumit@thenationaltrust.in	011-65216014
21	श्रीमती रेखा ममगाई	एमटीएस		011-65216000
22	श्री रामाशीष गौड	एमटीएस		
23	श्री रामबिलास राजभर	एमटीएस		
24	श्री गुड्डू	सफाई कर्मचारी		
25	श्री राजेन्द्र	सफाई कर्मचारी		

अध्याय 9: प्रतिपूर्ति प्रणाली सहित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन

क्रम सं.	नाम	पद	मासिक वेतन (रु.) 2024-25	प्रतिपूर्ति/ प्रतिपूरक भत्ता
1	श्री राजेश अग्रवाल	सचिव, दिव्यांगजन विभाग और अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास	अतिरिक्त प्रभार	लागू नहीं
2	श्री के आर वैधीश्वरन	संयुक्त सचिव एवं सीईओ	पे लेवल- 14	लागू नहीं
3	श्री राजेश सचदेवा	उप-निदेशक	पे लेवल- 11	लागू नहीं
4	श्री नवनीत कुमार	कार्यक्रम अधिकारी	पे लेवल- 9	लागू नहीं

5	श्री अमित कुमार आशुतोष	लेखाधिकारी	पे लेवल- 8	लागू नहीं
6	श्री सुरेश ठुकराल	निजी सचिव	पे लेवल- 11	लागू नहीं
7	श्रीमती श्रेष्ठा साहनी	निजी सचिव	पे लेवल- 8	लागू नहीं
8	श्रीमती मोनिका वाधवा	सहायक	पे लेवल- 6	लागू नहीं
9	श्रीमती वदना चोपडा	कार्यक्रम सहायक	पे लेवल- 5	लागू नहीं
10	श्रीमती मुस्कान खुल्लर	कार्यक्रम सहायक	पे लेवल- 4	लागू नहीं
11	श्री बी एस नेगी	यूडीसी	पे लेवल- 4	लागू नहीं
12	श्री रामबिलास राजभर	एमटीएस	पे लेवल- 3	लागू नहीं
13	श्रीमती रेखा ममगाई	एमटीएस	पे लेवल- 3	लागू नहीं
14	श्री रामाशीष गौड	एमटीएस	पे लेवल- 2	लागू नहीं
अनुबंध पर				
15	श्री पंकज श्रीवास्तव	आईटी सलाहकार	70000.00	लागू नहीं
16	श्रीमती साक्षी पांचाल	कानूनी सलाहकार	70000.00	लागू नहीं
17	श्री शशि भूषण त्रिपाठी	अनुवादक	45000.00	लागू नहीं
18	श्री तिलक राज	कार्यालय सहायक	30000.00	लागू नहीं
19	श्रीमती पुष्पा पांडे	कार्यालय सहायक	30000.00	लागू नहीं
20	सुश्री ज्योति	कार्यालय सहायक	30000.00	लागू नहीं
21	श्री दीपक रावत	कार्यालय सहायक	30000.00	लागू नहीं
22	श्री गौरव वर्मा	कार्यालय सहायक	30000.00	लागू नहीं
23	श्री सुमित रावत	कार्यालय सहायक	30000.00	लागू नहीं
24	श्री गुड्डू	सफाई कर्मचारी	20000.00	लागू नहीं
25	श्री राजेन्दर	सफाई कर्मचारी	20000.00	लागू नहीं

9.1 राष्ट्रीय न्यास में क्षति पूर्ति प्रणाली:

राष्ट्रीय न्यास के कर्मचारी भारत सरकार के सी.सी.एस. नियमों के अनुसार वेतन, भत्ते और अन्य अधिकारों के पात्र हैं जैसे- टीए, एलटीसी, सीसीएल, ईएल, चिकित्सा भत्ता आदि।

अध्याय 10 : जन सूचना अधिकारियों के नाम, पद और अन्य विवरण

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

नाम	श्री नवनीत कुमार
पद	कार्यक्रम अधिकारी
फोन (कार्यालय)	-011 65216004
फोन (आवास)	9868121465
ई-मेल	po@thenationaltrust.in
पता	राष्ट्रीय न्यास, छठीं मंजिल तल, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान भवन, प्लॉट जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

नोडल अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

नाम : श्री. राजेश सचदेवा
पद : उप निदेशक
फ़ोन (कार्यालय) : 011- 65216003
ई-मेल: dd@thenationaltrust.in
पता: राष्ट्रीय न्यास, छठीं मंजिल, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान भवन,
प्लॉट जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

अध्याय 11: उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है/की गई है:

11.1 उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है:

(i) छोटे या बड़े जुमनि की कार्रवाई के लिए लंबित: कोई नहीं

11.2 छोटे जुमनि या बड़े जुमनि की कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया: कोई नहीं

अध्याय 12: आरटीआई के बारे में अधिक जानकारी के लिए कार्यक्रम

सीआईसी कार्यालय और मंत्रालय के संबंधित विभाग द्वारा आरटीआई कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं, जिसमें केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/आरटीआई मामलों से जुड़े अन्य कर्मचारी भाग लेते हैं।

अध्याय 13: स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश

राष्ट्रीय न्यास नई दिल्ली में स्थित एक स्वायत्त निकाय है और इसकी कोई शाखा नहीं है। इसलिए, स्थानांतरण का प्रावधान नहीं है। आवश्यकतानुसार केवल कार्य आवंटन में ही आंतरिक रूप से परिवर्तन किया जाता है।

अध्याय 14: सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण के बारे में रिपोर्ट आदि सहित प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट।

14.1 वर्ष 2024-25 का बजट अनुमान निम्नलिखित है:-

क्रम सं.	व्यय मद	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये बजट अनुमान/ संशोधित अनुमान (रुपये लाख में)
क	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से राष्ट्रीय न्यास को बजटीय सहायता	
1	दिशा- बाल्यकालिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी	201.00
2	विकास-डे केयर	380.00
3	दिशा-सह-विकास	510.00
	उप-योग	1091.00
4	समर्थ-राहतकारी देखभाल	197.00
5	घरौंदा-वयस्कों के लिये सामूहिक आवास	385.00
6	समर्थ-सह-घरौंदा	307.00
	उप-योग	889.00
7	निरामय- स्वास्थ्य बीमा योजना	1402.00
	उप-योग	3382.00
ख	राष्ट्रीय न्यास के आंतरिक स्रोतों से स्वीकृत बजट (ब्याज से आय)	
।	जागरूकता और प्रचार	
1	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/प्रकाशन	0.00
2	कार्यशालायें/गोष्ठियां/प्रदर्शिनियां/रोजगार मेले	21.24
3	वेबसाइट/सॉफ्टवेयर	25.67
	उप-योग	46.91
ग	कार्यक्रम और परियोजनायें	
1	बढ़ते कदम- अभिनव परियोजनाओं और संवेदीकरण कार्यक्रमों सहित जागरूकता और सामुदायिक संपर्क	4.53
	उप-योग	4.53
घ	संस्थागत व्यवस्था	
1	एसएनएसी	0.00
2	स्थानीय स्तरीय समिति	14.56
	उप-योग	14.56
ड	बैठकें	
1	वार्षिक आम बैठक, बोर्ड बैठकें और अन्य विविध बैठकें।	11.17
	उप-योग	11.17

च	अधिष्ठान और प्रशासन	
1	वेतन और मजदूरी	223.00
2	कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	0.50
3	डीसीआरजी/सीपीएस/एनपीएस/अवकाश नगदीकरण (सेवानिवृत्त लाभ)- प्रावधान	15.00
4	कर्मचारी कल्याण (चिकित्सा, एलटीसी, बोनस, शिक्षण शुल्क, कर्मचारी प्रशिक्षण, समाचार पत्र, वर्दी, अवकाश नकदीकरण, आतिथ्य और सम्मान आदि)	22.00
5	किराया, दर और कर (भवन)	93.87
6	यात्रा एवं परिवहन व्यय (घरेलू और विदेशी दोनों) वाहन चलाना और परिवहन	16.00
7	मुद्रण और स्टेशनरी	2.05
8	मरम्मत और रखरखाव	3.50
9	उपकरण एवं संयंत्र (कम्प्यूटर बाह्य उपकरण/फर्नीचर/फिक्सचर/कार्यालय उपकरण आदि)	39.71
10	टेलीफोन/फैक्स/ब्रॉडबैंड	2.00
11	बिजली/पानी	10.00
12	व्यय संबंधी	0.01
13	डाक/टेलीग्राम	0.07
14	लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक	6.93
15	व्यावसायिक प्रभार	0.40
16	अन्य प्रशासनिक व्यय	38.00
	उप-योग अधिष्ठान और प्रशासन	473.04
	उप-योग आंतरिक स्रोतों से व्यय	550.21
	महायोग क+ख	3932.21

14.2 किए गए संवितरण के बारे में रिपोर्ट और वह स्थान जहां संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध हैं:

यह राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट पर अपलोड, वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है
<https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3300891a62162b960cf02ce3827bb363c/uploads/2025/01/20250110901229377.pdf>)

अध्याय 15: विदेशी और घरेलू दौरे

15.1 बजट: कुल बजट में यात्रा के लिये बजट शामिल है।

15.2 मंत्रालयों और सरकार के संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के साथ-साथ विभाग के प्रमुखों के विदेशी और घरेलू दौरे –

राष्ट्रीय न्यास के संयुक्त सचिव एवं सीईओ ने वर्ष 2024-25 के दौरान कोई घरेलू दौरा नहीं किया है।

15.3 खरीद से संबंधित जानकारी

क्रम सं.	विक्रेता का नाम	विवरण	अनुबंध की अवधि	पद का नाम	कर्मचारियों की संख्या	भुगतान की गई राशि
1	मेसर्स अगामी इंडो प्राइवेट लि.	जनशक्ति का किराया	02.07.2024 से 30.06.2025 तक	कार्यालय सहायक सफाई कर्मचारी	6 ----- 2	रु 2,69,595/- प्रति माह (सेवा प्रभार और जीएसटी सहित)
2	मेसर्स सिलवर टच टेक्नालोजी लि0	एनटी वेबसाइट विस्तार का रखरखाव	1.8.2024 से 31.7.2025 तक		----	रु 25,35,563/-
3	मेसर्स टैक्सी/कार	मासिक आधार पर वाहन किराया	1.08.2024 से 31.07.2025 तक			रु. 35000/- प्रति महीने (फिक्स्ड)

अध्याय 16: सब्सिडी कार्यक्रम लागू करने का तरीका

राष्ट्रीय न्यास कोई सब्सिडी कार्यक्रम संचालित नहीं करता है।

अध्याय 17: विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान

17.1 राज्य सरकार/एनजीओ/अन्य संस्थानों को विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान/आवंटन: एनजीओ को अनुदान का विवरण राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट पर उपलब्ध है (<https://nationaltrust.nic.in/information-handbook-rti/>)

17.2 उन सभी कानूनी संस्थाओं के वार्षिक खाते जिन्हें राष्ट्रीय न्यास द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है: विवरण वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या 44 से 69 पर उपलब्ध है और जिसे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है-

(<https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3300891a62162b960cf02ce3827bb363c/uploads/2025/01/20250110901229377.pdf>)

अध्याय 18: सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतों और परमिटों के अधिकृत प्राप्तकर्ताओं का विवरण

18.1 रियायत और परमिट के अधिकृत व्यक्ति :

राष्ट्रीय न्यास आयकर अधिनियम की धारा 80 जी (2)(ए)(iii) (एचजे) के तहत दानकर्ताओं को 100% कर छूट प्रदान करता है।

18.2 दी गई प्रत्येक रियायत और परमिट के अधिकृत लोगों के लिए –

(ए) पात्रता मानदंड, (बी) रियायत/अनुदान और/या प्राधिकृत परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया, (सी) रियायत/परमिट या अधिकृत प्राप्तकर्ताओं के नाम और पता, (घ) रियायत/प्राधिकृत परमिट प्रदान करने की तिथि: योजना के दिशा निर्देश राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट (www.nationaltrust.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

अध्याय 19: सीएजी और पीएसी के पैरा

सीएजी ने एटीआर पूरा कर लिया है और लेखा परीक्षित खाते के लिए सटीक और निष्पक्ष विचार व्यक्त किये हैं। (वित्तीय वर्ष 2023-24) के लिए कोई ऑडिट पैरा नहीं है।

अध्याय 20: प्रचार बैंड सार्वजनिक इंटरफ़ेस

नीति निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए किसी भी व्यवस्था का विवरण: **लागू नहीं**

राष्ट्रीय न्यास कार्यालय सुबह 9 बजे से सायं 5.30 बजे तक खुलता है। इस अवधि में निम्नलिखित अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है:-

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

नाम	श्री नवनीत कुमार
पद	कार्यक्रम अधिकारी
फोन (कार्यालय)	-011 65216004
फोन (आवास)	9868121465
ई-मेल	po@thenationaltrust.in
पता	राष्ट्रीय न्यास, छठीं मंजिल, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान भवन प्लॉट जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

अध्याय 21: क्या जनता को प्रभावित करने वाली नीतियों/निर्णयों के बारे में उन्हें जानकारी दी जाती है ?

सार्वजनिक उपयोग की महत्वपूर्ण नीतियों को तैयार करने या निर्णयों की घोषणा करने का विवरण: इसे समय-समय पर राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट (www.nationaltrust.nic.in) पर अपलोड किया जाता है।

अध्याय 22: सूचना का व्यापक रूप से तथा ऐसी तरह से प्रसार करना जो जनता को सुलभ हो:

जनता के लिए आसानी से उपलब्ध होने वाले तरीके या सुविधाएँ, जो विभाग द्वारा सूचना के प्रचार और प्रसार हेतु अपनाई जाती हैं, निम्नलिखित हैं:

- i. प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से
- ii. वेबसाइट के माध्यम से
- iii. कार्यशालाओं, गोष्ठियों, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से
- iv. योजनाओं से संबंधित पुस्तिकाओं के वितरण तथा अन्य सूचनाओं के माध्यम से।

अध्याय 23: सूचना नियमावली/पुस्तिका प्राप्त करने की प्रक्रिया:

23.1 सूचना नियमावली/पुस्तिका इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध है: हाँ

23.2 सूचना नियमावली/पुस्तिका मुद्रित प्रारूप में उपलब्ध है: हाँ

अध्याय 24: सूचना पुस्तिका/नियमावली निःशुल्क उपलब्ध है या नहीं

24.1 निःशुल्क उपलब्ध सामग्रियों की सूची: सूचना पुस्तिका/नियमावली राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट <https://nationaltrust.nic.in/information-handbook-rti/> पर निःशुल्क उपलब्ध है।

24.2 उचित कीमत पर उपलब्ध सामग्रियों की सूची: पृष्ठ संख्या 10 देखें।

अध्याय 25: वह भाषा जिसमें सूचना नियमावली/पुस्तिका में उपलब्ध है

आरटीआई मैनुअल अंग्रेजी और हिन्दी भाषा में उपलब्ध है। आरटीआई मैनुअल राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट <https://nationaltrust.nic.in/information-handbook-rti/> पर आरटीआई अधिनियम लिंक के तहत उपलब्ध है।

अध्याय 26: सूचना नियमावली/पुस्तिका में पिछली बार कब संशोधन किया गया था?

पिछली बार वार्षिक संशोधन 25.06.2025 को किया गया था।

अध्याय 27: इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना

सूची उपर्युक्त अध्याय 6 में उपलब्ध है।

अध्याय 28: सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

सुविधा का नाम और स्थान:	राष्ट्रीय न्यास -ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता एवं बहुदिव्यांगता के व्यक्तियों के कल्याण हेतु, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार), 6ठीं मंजिल, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान भवन, प्लॉट नंबर जी-2, सेक्टर- 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 फ़ोन: 011-65216000
उपलब्ध कराई गई जानकारी का ब्यौरा	वेबसाइट www.nationaltrust.nic.in .
कार्य का समय:	कार्यालय खुलने का समय : सुबह 09.00 बजे (सोमवार से शुक्रवार) कार्यालय बंद होने का समय: सायं 05.30 बजे (सोमवार से शुक्रवार)
संपर्क किये जाने वाले व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण	केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी नाम : श्री नवनीत कुमार पद : कार्यक्रम अधिकारी फोन (कार्यालय) : 011- 65216004 फोन (आवास) : 9868121465 ई-मेल : po@thenationaltrust.in पता : राष्ट्रीय न्यास, छठीं मंजिल, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान भवन, प्लॉट जी-2, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली- 110075

अध्याय 29: कोई अन्य जानकारी

29.1 शिकायत समाधान तंत्र:

ईमेल, पीजी पोर्टल, आरटीआई आदि के जरिये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। शिकायत समाधान के लिये निम्नलिखित अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है:-

श्री नवनीत कुमार
कार्यक्रम अधिकारी एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
राष्ट्रीय न्यास, छठीं मंजिल, एनआईएसडी (राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान) भवन, प्लॉट नंबर जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
फोन: 011-65216004/9868121465

29.2 आरटीआई के तहत प्राप्त आवेदनों का विवरण और प्रदान की गई जानकारी: त्रैमासिक रिपोर्ट राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट (<https://thenationaltrust.gov.in/content/innerpage/other-information-under-rti-act.php>) पर उपलब्ध है।

29.3 पूरी हुई योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची: लागू नहीं

29.4 जारी योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची: अध्याय-4 देखें (सभी परियोजनाएं चालू हैं)

29.5 ठेकेदार का नाम, अनुबंध की राशि और अनुबंध पूरा होने की अवधि सहित किए गए सभी अनुबंधों का विवरण:

क्रम सं.	विक्रेता का नाम	विवरण	अनुबंध की अवधि	पद का नाम	कर्मचारियों की संख्या	भुगतान की गई राशि
1	मेसर्स अगामी इंडो प्राइवेट लि.	जनशक्ति का किराया	2.7.2024 से 30.6.2025 तक	कार्यालय सहायक सफाई कर्मचारी	6 ----- 2	रु 269595/- प्रति माह (सेवा प्रभार और जीएसटी सहित)
2	मेसर्स सिलवर टच टेक्नालोजी लि0	एनटी वेबसाइट विस्तार का रखरखाव	1.8.2024 से 31.7.2025 तक		----	रु 2535563
3	मेसर्स टैक्सी/कार	मासिक आधार पर वाहन किराया	1.08.2024 से 31.07.2025 तक			रु. 35000/- प्रति महीने (फिक्स्ड)

29.6 वार्षिक रिपोर्ट: राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट पर उपलब्ध है :

((<https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3300891a62162b960cf02ce3827bb363c/uploads/2025/01/20250110901229377.pdf>)

29.7 बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: राष्ट्रीय न्यास की स्थापना कब हुई?

उत्तर 1: राष्ट्रीय न्यास की स्थापना 30 दिसंबर 1999 को हुई थी।

प्रश्न 2: राष्ट्रीय न्यास का उद्देश्य क्या है?

उत्तर 2: राष्ट्रीय न्यास की स्थापना ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता एवं बहुदिव्यांगता वाले व्यक्तियों के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए की गई है।

प्रश्न 3: योजनाओं से लाभ पाने के हकदार कौन हैं?

उत्तर 3: (i) ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता एवं बहुदिव्यांगता का कोई भी व्यक्ति
(ii) राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन

प्रश्न 4: आवेदन पत्र कैसे प्राप्त करें?

उत्तर 4: पंजीकरण और विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा करने का प्रावधान है।

प्रश्न संख्या 5: क्या आवेदन के लिए कोई शुल्क लिया जाता है?

उत्तर संख्या 5: कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

प्रश्न संख्या 6: किसी एनजीओ के लिए सहायता अनुदान की अधिकतम सीमा क्या है?

उत्तर संख्या 6: योजना दिशानिर्देशों के अनुसार सहायता अनुदान की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

प्रश्न संख्या 7: इच्छित लाभार्थी कौन होने चाहिए?

उत्तर संख्या 7: ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता एवं बहुदिव्यांगता प्रभावित व्यक्ति इच्छित लाभार्थी होंगे।

प्रश्न 8: आवेदन कब और कैसे आमंत्रित किये जाते हैं?

उत्तर 8: अध्याय 2 के पैरा 2.6 में उल्लिखित योजनाओं के मानदंडों के अनुसार आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं।

प्रश्न 9: कार्यालय का समय क्या है?

उत्तर 9: प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक। सभी कार्य दिवसों में (सोमवार से शुक्रवार)।

29.8 कोई अन्य जानकारी जैसे –

नागरिक चार्टर- नागरिक चार्टर सेवा वितरण के मानक, गुणवत्ता और समय सीमा, शिकायत समाधान तंत्र, पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति राष्ट्रीय न्यास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नागरिक चार्टर का उद्देश्य नागरिकों और प्रशासन के बीच माध्यम बनना और नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशासन को सुव्यवस्थित करना है। इस प्रकार एक सार्थक नागरिक चार्टर के प्रमुख घटक हैं- विजन और मिशन वक्तव्य, कार्यक्रम और गतिविधियाँ, ग्राहक समूह/हितधारक, राष्ट्रीय न्यास द्वारा प्रदान की जा रही प्रत्येक सेवा के लिए समय सीमा का स्पष्ट विवरण।

राष्ट्रीय न्यास का सिटीजन चार्टर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है :

<https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3300891a62162b960cf02ce3827bb363c/uploads/2025/05/202505131976707278.pdf>

अध्याय 30: आरटीआई आवेदनों और अपीलों की प्राप्ति और निपटान

30.1 वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त एवं निस्तारित आवेदनों का विवरण:

विवरण दिए गए लिंक में उपलब्ध हैं: (<https://nationaltrust.nic.in/information-handbook-rti/>)

30.2 वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त अपीलों और जारी आदेशों का विवरण:

विवरण दिए गए लिंक में उपलब्ध हैं : (<https://nationaltrust.nic.in/information-handbook-rti/>)

अध्याय :31संसद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर-

राष्ट्रीय न्यास संसद प्रश्न का उत्तर तैयार करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को सूचना प्रदान करता है: अंतिम उत्तर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिया जाता है।

अध्याय 32: कोई अन्य जानकारी

32.1 नाम और विवरण –

(क) वर्तमान सीपीआईओ और एफएए: अध्याय 10 देखें

(ख) 1.1.2015 से पहले सीपीआईओ और एफएए:

क्रम सं.	केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी नाम	अवधि
1	श्री यू.के. शुक्ला, सहायक कानूनी सलाहकार:	11 जून, 2014 से 13 अगस्त, 2015 तक
2	श्री नवनीत कुमार, कार्यक्रम अधिकारी:	14 अगस्त, 2015 से अब तक

प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (एफएए)

क्रम सं.	नाम	अवधि
1	श्री चितरंजन कुमार खेतान, संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी:	जनवरी, 2015 से नवंबर, 2016
2	श्री मुकेश जैन, संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी:	नवंबर, 2016 से अप्रैल, 2018
3	डॉ प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी:	अप्रैल, 2018 से नवंबर, 2018
4	श्री निकुंज के. सुंदराय, संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी:	नवंबर, 2018 से फरवरी, 2022
5	श्री यू.के. शुक्ला, सहायक कानूनी सलाहकार:	फरवरी, 2022 से मई, 2023
6	श्री के.आर. वैधीश्वरन, संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी:	जून, 2023 से दिसंबर, 2023
7	श्री राजेश सचदेवा, उपनिदेशक	जनवरी, 2024 से अब तक

32.2 स्वेच्छिक प्रकटीकरण के तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षा का विवरण —

(ए) लेखा परीक्षा की तिथि: 31-5-2024

(बी) किए गए लेखा परीक्षा की रिपोर्ट:

राष्ट्रीय न्यास ने वर्ष 2023-24 के लिये तृतीय पक्ष लेखा परीक्षा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ से करवाई थी जिसकी रिपोर्ट दिए गए लिंक पर उपलब्ध है: <https://nationaltrust.nic.in/information-handbook-rti/>

अध्याय 33: उन विषयों/सूचनाओं का विवरण जिनकी जानकारी पहले दी जा चुकी है ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े

इस अध्याय में उन विषयों/सूचनाओं का विवरण दिया गया है जिनकी जानकारी पहले ही दी जा चुकी है ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े ।

योजनाओं, कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों से संबंधित सभी जानकारी समाचारों और वार्षिक रिपोर्टों के माध्यम से राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट पर दी जाती है।

अध्याय 34: भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है (फरवरी, 2009 में जारी किया गया और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सचिवालय मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर (सीएसएमओपी) में शामिल किया गया)

34.1 क्या एसटीक्यूसी प्रमाणीकरण प्राप्त किया गया है और इसकी वैधता क्या है?

इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट एसडब्ल्यूएस प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रही है और यहां एसटीक्यूसी की आवश्यकता नहीं है।

34.2 क्या वेबसाइट पर प्रमाणपत्र प्रदर्शित होता है?:

लागू नहीं

सूचना प्राप्त करने का प्रारूप (वैकल्पिक)

1. आवेदक का नाम	
2. स्थायी पता	
3. वर्तमान आवासीय पता	
4. टेलीफोन नंबर (एसटीडी कोड के साथ)	
5 ई-मेल	
6. मांगी गई सूचना से संबंधित दस्तावेजों का सक्षिप्त विवरण	
7. किस तरीके से सूचना मांगी गई है	
(ए) दस्तावेजों की हार्ड कॉपी/फोटोकॉपी	
(बी) सॉफ्ट कॉपी, जैसे सीडी/फ्लॉपी	
यदि जानकारी सॉफ्ट कॉपी, यानी सीडी/फ्लॉपी में आवश्यक है, तो इसे राष्ट्रीय न्यास कार्यालय से निर्धारित तारीख और समय पर व्यक्तिगत रूप से लिया जा सकता है।	

दिनांक: / /

स्थान : आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

पावती

आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए श्री/सुश्री/श्रीमती

_____ से अनुरोध प्राप्त हुआ। जन सूचना अधिकारी से यह सूचना _____

_____ बजे तक भेज दी जाएगी।

केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर,
राष्ट्रीय न्यास

कार्यालय के उपयोग के लिए

आवेदन प्राप्त होने की तिथि:

डायरी संख्या दिनांक:

किस तारीख तक सूचना मांगी गई है:

सूचना प्रदान करने की तिथि :

डिस्पैच संख्या, दिनांक:

सूचना प्रस्तुत करने का तरीका

हार्ड कॉपी / सॉफ्ट कॉपी

प्रदान की गई सूचना का संक्षिप्त विवरण:

सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर